दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

आउट-साईट पर स्थित ट्रक मरम्मत व स्पेयर पार्ट्स की दुकानें प्रातः 8 से सायं 8 बजे तक खुलेंगी

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुये रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 14 अप्रैल 2021 को प्रातः 6 बजे से 22 अप्रैल 2021 को रात्रि 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कलेक्टर सिंह द्वारा जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। जिसमें नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत स्थित पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय कर्मचारियों/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पेट्रोल/डीजल प्रदाय किया जायेगा। शहर से आउट-साईट या हाईवे पर स्थित ट्रक मरम्मत की दुकान, स्पेयर पार्ट्स की दुकान एवं टायर-ट्यूब की दुकान को प्रातः8 बजे से सायं 8 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। आदेश की शेष शर्तें एवं निर्देश यथावत रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने दैनिक वेतनभोगियों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान की अपील की

रायगढ़ । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दैनिक वेतनभोगियों और जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान की अपील की है। उन्होंने संकट की इस घड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान देकर जरूरतमंदों की सहायता में सहभागी बनने कहा है। मुख्यमंत्री बघेल ने मुख्यमंत्री सहायता कोष का खाता नम्बर, आईएफएससी कोड और यूपीआई आईडी की जानकारी देते हुए कोष में राशि जमा करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री सहायता कोष में भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 30198873179, आईएफएससी कोड SBIN 0004286 और यूपीआई आईडी cgcmrelieffund@sbi के माध्यम से राशि जमा की जा सकती है।

कन्टेनमेंट जोन अवधि में समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद

रायगढ़ । वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु रायगढ़ जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 14 अप्रैल 2021 प्रातः 6 बजे से 22 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर भीम सिंह ने उक्त अवधि में जिले की समस्त देशी मदिरा दुकानें, विदेशी मदिरा दुकानें, सी.एस.-2 (घघ कम्पोजिट शॉप), भण्डारण भाण्डागार, एफ.एल.3 होटल बार एवं मदिरा की होम डिलीवरी भी पूर्णतः बंद रहेगी।

कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिये डिप्टी कलेक्टर एक्का नोडल अधिकारी नियुक्त

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने प्रदेश एवं रायगढ़ जिले में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)संक्रमण व्यक्तियों की संभावित वृद्धि को देखते हुये कांटेक्ट ट्रेसिंग हेतु डिप्टी कलेक्टर श्रीमती वेरनादत्त एक्का को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

नाबालिग लड़की लापता,गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

रायपुर (आरएनएस)। नाबालिग लड़की के घर से बिना बताए कही चले जाने की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 363 के तहत अपराध कायम कर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार मंदिरहसौद थाने में 12 अप्रैल को शाम 5 बजे प्रार्थी 40 वर्ष ने शिकायत दर्ज करायी है कि 11 अप्रैल को प्रार्थी की नाबालिग बेटी 17 वर्ष 08 माह बिना बताए कही चली गई है।

आईपीएल सीजन 14: सट्टे की दो कार्रवाई में चार आरोपी गिरफ्तार, 14.50 लाख के सट्टा-पट्टी रिकार्ड, 54 हजार 800 नकद, मोबाइल व टीवी जब्त

गिरफ्तार सट्टेबाजों ने उगले बड़े सट्टा खाईवालों के नाम जल्दी होगी बड़ी कार्रवाई

» गिरफ्तार सट्टेबाजों ने उगले बड़े सट्टा खाईवालों के नाम जल्दी होगी बड़ी कार्रवाई

रायगढ़ । एसपी संतोष सिंह पिछली क्राइम मीटिंग में सभी थाना, चौकी प्रभारियों को आईपीएल सट्टे पर प्रभावी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए गए थे । निर्देशों पर कार्यवाही के लिये कोतवाली थाना प्रभारी टीआई मनीषचन्द्र नागर अपने स्टाफ एवं सक्रिय मुखबीर लगाकर आईपीएल सट्टेबाजी पर निगाह रखने निर्देशित किये। इसी क्रम में कल दिनांकि 12.04.2021 को मुखबिर द्वारा शहर के लाल टंकी रोड़ ऋषि अग्रवाल के घर पर राजस्थान रॉयल और पंजाब किंग्स के मैच के दौरान लाइव क्रिकेट सट्टा लिखे जाने की सूचना दिया गया। सूचना को पुख्ता करने टीआई कोतवाली थाने से आरक्षक ग्राहक बनाकर ऋषि अग्रवाल के घर भेजे, जिसने सूचना को पुख्ता बताया। जिसके बाद टीआई नागर हमराह प्रधान आरक्षक नंदू सारथी, आरक्षक हेम प्रकाश सोन, विनोद शर्मा, मनोज पटनायक, उत्तम सारथी और अभय यादव के साथ लाल टंकी रोड में ऋषि अग्रवाल के मकान में सट्टा रेड कार्यवाही करने दबिश दिये। कमरे अंदर राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग के मैच पर मकान मालिक ऋषि अग्रवाल और वहां मौजूद सुरेश अग्रवाल, विष्णु अग्रवाल को मोबाइल, कागज एवं रजिस्टर पर सट्टा लगाने वालों के नाम नोट करते मिले , मौके पर गवाहों के समक्ष विष्णु अग्रवाल से पैसो का विवरण लिखा हुआ एक पर्ची नगद 8200 रू, सुरेश अग्रवाल से उसके मोबाईल मे क्रिकेट मैच मे दाव लगाने का रिकार्ड व उससे एकत्र किये गये 22300 रू तथा ऋषि अग्रवाल से उनका एलसीडी टीवी पैसे का विवरण लिखा हुआ एक रजिस्टर व 17100 रू नगद कुल 47,600 रूपये जप्त किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी 1- विष्णु अग्रवाल पिता जगन्नाथ अग्रवाल उम्र 61 वर्ष साकिन सरलाविला थाना चक्रधरनगर रायगढ, 2- ऋषि अग्रवाल पिता स्व तुलसी अग्रवाल उम्र 58 वर्ष साकिन लाल टंकी रोड रायगढ, 3- सुरेश अग्रवाल पिता महावीर अग्रवाल उम्र 54 वर्ष साकिन बैकुंठपुर रायगढ से टीआई सट्टा के संबंध में कड़ी पूछताछ करने पर सक्ती, जिला जांजगीर चाम्पा के अरुण सेठ द्वारा सट्टा खिलाया जाना बताये। आरोपियों ने शहर के वसीम खान, संबलपुरी उड़ीसा निवासी प्रदीप पटेल, चांदमारी का पिंटू हलवाई, आकाश, फारुख खान, गोलू, सोनू बेरीवाल, बसंत, संदीप गुप्ता, मन्नू खान, जमीर, खरसिया का अर्जुन राठौर, विक्की अग्रवाल, सरिया का सुरेश शर्मा सट्टेबाजी में संलिप्त होना बताये , जिनका पूरा डिटेल थाना प्रभारी द्वारा नोट किया गया है।

आरोपियों से मिली जानकारी पर थाना प्रभारी कोतवाली अपने स्टाफ के साथ दूसरी रेड कार्यवाही करने शहीद चौक के पास पहुंचे, जहां कच्ची खोली सिंधी कॉलोनी थाना चक्रधरनगर क्षेत्र का रोहित बुटानी पिता मुकेश बुटानी उम्र 25 साल मोबाइल पर राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग क्रिकेट मैच पर अपने मोबाइल पर सट्टा नोट करते मिला। आरोपी रोहित बुटानी से एक वन पल्स मोबाइल नकदी रकम 7,200 रुपए की जप्ती की गई है। आरोपी रोहित बुटानी ने पूछताछ में रायगढ़ के सोनू, जावेद खान निवासी बीडपारा, करण चौधरी, शहबाज खान निवासी इंदिरानगर, धर्मेंद्र शर्मा गेंदू, दीपक सिंधी, चंद्री सिंधी कॉलोनी चक्रधरनगर रायगढ़ को क्रिकेट सट्टा खिलाना बताया है। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में पुलिस टीम द्वारा 14.50 लाख रूपये के सट्टा रिकार्ड, 54,800 रुपए नगदी तथा मोबाइल, एलसीडी टीवी एवं पिछले 3 दिनों के सट्टा पट्टी को जप्त किया गया है। आरोपियों पर थाना कोतवाली में धारा 4-क जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर टीआई कोतवाली गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल रिकार्ड एवं उनसे मिली जानकारी पर सट्टा खाईवाल व सट्टा लिखने वालों की और जानकारी सायबर सेल से निकलवाई जा रही है। जल्द की कोतवाली सहित अन्य थानाक्षेत्र में क्रिकेट सट्टे पर बड़ी कार्यवाही की जावेगी।

धरमजयगढ़ पुलिस फ्लैग मार्च निकाल कर दी लॉकडाउन पालन करने का संदेश

धरमजयगढ़ । जिला रायगढ़ के समस्त क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिनांक 14.04.2021 के सुबह 06:00 बजे से दिनांक 22.04.2021 के रात्रि 24:00 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन का शत प्रतिशत पालन कराने पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के दिशा निर्देशन पर आज दिनांक 13.04.2021 को धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा नगर में फ्लैग मार्च निकाल कर लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की अपील किया गया। फ्लैग मार्च दौरान लॉउड स्पीकर से लोगों को लॉकडाउन को लेकर कोविड गाइडलाइन के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही सचेत भी किया गया कि निर्देश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। फ्लैग मार्च एसडीएम धरमजयगढ़ संबित मिश्रा, एसडीओपी धरमजयगढ़ सुशील नायक, थाना प्रभारी निरीक्षक अंजना केरकेट्टा, नायब तहसीलदार उमेश्वर बाज तथा थाना धरमजयगढ़ स्टाफ शामिल थे।

54 आईसीयू और 332 ऑक्सिजनेटेड बेड की सुविधा तैयार

» कलेक्टर भीम सिंह ने ली स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक

» कोरोना संक्रमित मरीजों के लिये बेड एवं इलाज की समुचित व्यवस्था के दिये निर्देश

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने अपने कक्ष में कोविड-19 के मरीजों के उपचार की तैयारियों के संबंध में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर कलेक्टर सिंह ने सीएमएचओ एवं मेडिकल कालेज प्रभारी से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की तैयारियों, अस्पतालों में बेड की स्थिति, मेडिकल स्टाफ , दवाइयों की उपलब्धता समेत अन्य तमाम सुविधाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिये।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.केसरी ने बताया कि जिले में 54 आईसीयू तथा 332 ऑक्सिजनेटेड बेड की सुविधा तैयार कर ली गयी है। कोरोना के उपचार के लिए मेडिकल कालेज में 200 बेड, एमसीएच बिल्डिंग में 100, जिंदल फोर्टिस अस्पताल में 25, जिंदल परसदा अस्पताल में 90, अपेक्स सुपर स्पेसिलिटी में 30, बालाजी मेट्रो में 22, जेएमजे मॉर्निंग स्टार (मिशन) हास्पिटल में 10, राजप्रिय अस्पताल में 24, राधाकृष्ण अस्पताल में 18, शिव हास्पिटल में 5 एवं लोकेश अस्पताल में 12 बेड, मंगल भवन सारंगढ़ में 50 बेड की व्यवस्था तैयार कर ली गयी है। इसके अतिरिक्त 80 और ऑक्सिजनेटेड बेड की सुविधा भी अगले दो चार दिनों में तैयार कर ली जाएगी। इसके अलावा केआईटी कॉलेज में 500 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर तथा एमसीएच लैलूंगा में 50 बेड, सीएचसी लोइंग में 30 और सीएचसी चपले में 10 बेड, सिद्धेश्वर नेत्रालय में 20 बेड की सुविधा तैयार की जा रही है।

कलेक्टर सिंह ने कोविड सैंपलिंग के संबंध में भी चर्चा की। बताया गया कि सैंपल कलेक्शन सेंटर्स में नियमित रूप से सैंपल कलेक्ट किये जा रहे हैं। वर्तमान में रायगढ़ शहर में शासकीय आयुष औषधालय चांदमारी, नगर निगम ऑडिटोरियम रायगढ़, सत्तीगुड़ी चौक, शासकीय किरोड़ीमल जिला चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन रायगढ़, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामभांठा तथा जिले के समस्त सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र, समस्त सिविल अस्पताल एवं रेलवे स्टेशन खरसिया में सैंपलिंग की जा रही है। कोई भी समस्या होने पर स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 07762-232668, 07762-28000 में कोरोना से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

होम आईसोलेशन नियम के उल्लंघन पर होगी एफआईआरः कलेक्टर

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने होम आईसोलेशन के नियमों के उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

बैठक में कोविड-19 के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिये किये जा रहे उपायों की समीक्षा की गई। सबसे पहले वैक्सीनेशन की चर्चा कलेक्टर सिंह ने की। इस दौरान रायगढ़ शहरी में अब सिर्फ 46 प्रतिशत टीकाकरण होने पर योजनाबद्ध तरीके कार्य करने और लाक डाउन के दौरान वैक्सीनेशन सेंटरों में 45 प्लस उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के निर्देश निगम कमिश्नर आशुतोष पाण्डेय को दिए। कलेक्टर सिंह ने रायगढ़

शहरी क्षेत्र अंतर्गतं रात 8 बजे तक वैक्सीनेशन सेंटर को खुला रखने और वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रथम डोज लगाने के लिए जिन ग्राम सचिव व सरपंच ने ग्रामीणों को जागरूक किया, उन्हें सूची बनाकर रखनी होगी और आने वाले 6 हफ्तों बाद फिर उन्हें जागरूक कर वैक्सीन का सेकेंड डोज लगवाना होगा। कलेक्टर सिंह ने अस्पतालों में आक्सीजेनेटेड और आईसीयू बेड पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में केआईटी में 200 आक्सीजेनेटेड बेड का इंतजाम कर लिया जाएगा। इसी तरह मेडिकल कालेज सहित सभी प्राइवेट अस्पतालों को आक्सीजेनेटेड और आईसीयू बेड के संसाधन तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने कोरोना मरीजों के लिए आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज सुविधा मुहैया कराने के निर्देश निजी अस्पताल प्रबंधकों को दिए। कलेक्टर सिंह ने कहा कि लाक डाउन के नियमों का पालन सभी विभागों को करना है। इस दौरान उन्होंने ट्रेनों से आने वाले लोगों की जांच और होम आईसोलेशन संबंधित नियमों के पालन कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम को लॉक डाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन घोषित करने और होम आईसोलेशन संबंधित नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने होम आईसोलेशन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश सभी एसडीएम को दिये।

बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किए गए घोषणा के स्वीकृत कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई। कलेक्टर भीम सिंह ने सभी विभागों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किए गए घोषणा की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी संबंधित विभाग घोषणा को पूर्ण करने पूरी तेजी से कार्य करने के निर्देश दिये। इसके बाद गोधन न्याय योजना पर चर्चा की गई। कलेक्टर सिंह ने कहा कि सभी गोबर खरीदी केन्द्रों में गोबर की खरीदी नियमित होनी चाहिए।

अशोक विहार कालोनी पर छापेमारी, 30 बीयर बॉटल, 128 पाव अंग्रेजी व 80 पाव देशी शराब जब्त

रायगढ़ । मंगलवार को लगातार दूसरे दिन कोतवाली पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में शराब के अवैध बिक्री पर कार्यवाही किया गया है। कोतवाली पुलिस ढिमरापुर अशोक विहार कालोनी में किराये पर रहने वाली महिला के घर से 30 बीयर बॉटल, 128 पाव विभिन्न कम्पनियों के अंग्रेजी शराब व 80 पाव देशी प्लेन शराब जप्त कर आरोपिया पर धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर आरोपिया को रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार शहर में अवैध शराब बिक्री रोकने थाना प्रभारी कोतवाली मनीष नागर द्वारा अपने स्टाफ एवं मुखबिरों को निगाह रखने लगाया गया है, कल ढिमरापुर सागर मेडिकल दुकान गली के पास छापेमारी दौरान ढिमरापुर के अशोक विहार कालोनी में रहने वाली अनीता सोनकर द्वारा किराना दुकान के आड़ में किराये कमरे में शराब रखकर बेचने की जानकारी मिली थी, जिस पर कार्यवाही के लिये आज थाना प्रभारी के हमराह प्रधान आरक्षक समुंद रनकर, महिला आरक्षक प्रमिला महंत आरक्षक विनोद शर्मा, उत्तम सारथी, मनोज पटनायक महिला के किराये मकान अशोक विहार कालोनी में दबिश दिया गया। महिला स्टाफ द्वारा संदेही से कड़ी पूछताछ करने पर महिला अवैध शराब बिक्री करना स्वीकार की और मकान अंदर शराब छिपाकर रखना बताई। आरोपिया के कब्जे से एक कार्टन व दो हैंडबैग में रखा 30 नग सिम्बा बीयर बॉटल, अंग्रेजी शराब - 70 पाव गोवा, पार्टी स्पेशल 20 पाव, बॉम्बे गोवा व्हीस्की 09 पाव, केपेटस क्लब 25 पाव, सिम्बीकेट अंग्रेजी शराब 04 पाव एवं 80 पाव देशी प्लेन शराब जुमला 56.960 ल्द्य कीमती 28,480 रूपये का जप्त किया गया है, आरोपिया अनीता सोनकर पति विजय सोनकर पता अशोक विहार कॉलोनी ढिमरापुर थाना कोतवाली रायगढ़ पर आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है।

कोरोना वारियर्स के मेहनत को करें सार्थक, जल्द लगवाएं टीका

रायगढ़। कोरोना संकट के बीच नागरिकों की स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अधिकारी-कर्मचारी दिन रात कार्यरत हैं। कोविड टीकाकरण के काम में स्वास्थ्य विभाग के साथ महिला विकास विभाग की मितानिनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं एवं पंचायत विभाग के कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इन कोरोना वारियर्स की सभी से बस एक ही अपील है कि इनके मेहनत को सार्थक करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पात्र लोग जल्द से जल्द कोविड का टीका लगवाएं।

कहां लगवा सकते हैं टीका-टीकाकरण के लिए पूरे जिले में विभिन्न वैक्सीनेशन साइट बनायी गयी है। रायगढ़ शहर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामभाटा, मेडिकल कॉलेज

रायगढ़, संत माईकल स्कूल, मेडिकल कालेज, भूपदेव स्कूल केवड़ाबाड़ी, पतरापाली सामुदायिक भवन, म्यूनिस्पल स्कूल, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामभांठा, मंगल भवन कबीर चौक, जतन परिसर जिला पंचायत के पास एवं रेलवे स्टेशन में टीका लगाया जा रहा है। शहर के कुछ निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण किया जा रहा है, जिनमें डॉ.आर.एल.अग्रवाल हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेंटर, जेएमजी मॉर्निंग स्टॉर हास्पिटल, फोर्टिस ओपी जिंदल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, अपेक्स सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल आईव्हीएफ सेंटर, ओपी जिंदल हॉस्पिटल तमनार, मेट्रो हॉस्पिटल एण्ड डाईबिटिक रिसर्च सेंटर, संजीवनी नर्सिंग होम में जाकर टीका लगवाया जा सकता है। इसके अलावा जिले में स्थित सभी प्राथमिक, उप तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सिविल अस्पताल सब हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर में भी टीका लगाया जा रहा है।

कब लगवा सकते हैं टीका-इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सुबह 09 बजे से शाम 05 बजे के बीच जाकर टीका लगवाया जा सकता है।

टीका लगवा चुके लोगों पर कोरोना महामारी का असर कम हुआ है

» प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने जिले में कोविड से निपटने की जा रही तैयारियों की समीक्षा की

रायगढ़। कोरोना टीका लगवा चुके लोग कोविड-19 संक्रमण के दूसरे दौर में काफी हद तक सुरक्षित हैं। कोरोना संक्रमित होने वालों में, ऐसे लोगों की संख्या नगण्य है, जो कोरोना का पहले अथवा दोनों दौर का टीका लगवा चुके हैं। रायगढ़ जिले में कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से कराया जा रहा है। पात्रतानुसार 94 प्रतिशत यानी 2,86,531 लोगों को प्रथम दौर का तथा 8443 लोगों को द्वितीय दौर का टीका लगाया जा चुका है। यह बातें जिला प्रशासन रायगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों ने कृषि एवं जल संसाधन मंत्री तथा रायगढ़

जिले के प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे द्वारा कोरोना महामारी प्रबंधन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली जा रही समीक्षा बैठक के दौरान कही।

प्रभारी मंत्री रविन्द्र चौबे एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने आज अपने निवास कार्यालय से रायगढ़ जिले के जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों की वर्चुअल बैठक लेकर रायगढ़ जिले में कोरोना महामारी प्रबंधन की स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम, उपचार और जरूरतमंदों की मदद के लिए राशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। जिला प्रशासन को उसकी आवश्यकता के अनुरूप फंड उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक रायगढ़ जिले में होने वाले लॉकडाउन की तैयारियों के बारे में भी कलेक्टर भीम सिंह, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह से जानकारी ली। मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि लॉक डाउन के दौरान श्रमिकों एवं जरूरतमंदों को राशन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। मंत्री चौबे ने कहा कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति गंभीर है। ऐसी स्थिति में हमारी यह जिम्मेदारी है, कि हम अपने कर्तव्य के निर्वहन के प्रति भी पूरी तरह से तत्पर और गंभीर रहें। उन्होंने कलेक्टर भीम सिंह को कोरोना महामारी नियंत्रण और पीड़ितों के इलाज की बेहतर व्यवस्था के लिए डीएमएफ की राशि के उपयोग के निर्देश दिए।

उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि कोरोना संक्रमित लोगों के उपचार के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। जिले में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की जाए। कोविड संक्रमित ऐसे लोग, जो होम आइसोलेशन में हैं, उनके दवाओं की आपूर्ति और नियमित फालोअप का भी विशेष ध्यान रखा जाये। इस अवसर पर विधायकगणों ने भी विधायक निधि की राशि का कोरोना नियंत्रण एवं उपचार की व्यवस्था के लिए उपयोग किए जाने की सहमति दी।

कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि कोरोना नियंत्रण के लिए 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक जिले में लॉकडाउन रहेगा। इसको लेकर आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480